

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : मेरठ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 32/नियोजन-3./2002 दिनांक 8.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 25.1.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों सहित अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है।

(i) मेरठ महायोजना के प्रस्तावित भू—उपयोग जोन्स की श्रेणियों के दृष्टिगत कालम—4 ए के रूप में “आवासीय कार्यशाला” भू—उपयोग जोन शामिल किया जाए जिसमें विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार रखी जाए,

(ii) लघु उद्योग तथा बृहद उद्योग भू—उपयोग जोन्स में फुटकर दुकानों, वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय एवं नवीन टाउनशिप/योजना के भाग के रूप में अनुमन्यता हेतु शर्त—26 जोड़ी जाए तथा शो—रूम हेतु अधिकतम भू—आच्छादन 10 प्रतिशत अनुमन्य किए जाने हेतु शर्त—19 (ए) जोड़ी जाए,

(iii) कृषि भू—उपयोग जोन्स में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर ही अनुमन्यता हेतु शर्त—8 (ए) जोड़ी जाए तथा उच्च माध्यमिक, इण्टर कालेज / महाविद्यालय

हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत भू-आच्छादन एवं 0.2 एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु शर्त-27 जोड़ी जाए,

(iv) विभिन्न भू-उपयोगों में समूह आवास, होटल, सेवा/कुटीर उद्योग, गैस गोदाम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, अस्पताल, बारातघर/बैंकटहाल, टेलीफोन/रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, पशुबधशाला आदि क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार प्राविधार किए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 “प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए।

(ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अद्व-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3294(1)9—आ—3—72वि०/94 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव ।